

amr ③

I 7634/2011



15
उत्तर प्रदेश
S.T.O.

UTTAR PRADESH

P 199358



विक्रय - पत्र

- 1- वक्फ से सम्बन्धित - नहीं है ।
- 2- भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
- 3- ग्राम - नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर शाहजहाँपुर।
- 4- सम्पत्ति का विवरण-खसरा सं० 10/0.162, 11/0.975, 12/0.134 व
खसरा संख्या 13/0.254 कुल 4 किता क्षेत्रफल
1.525 हेक्टेयर में से 1/5 भाग बय किया गया।

Ko-5
9/11

श्री ३० वापुरा देवा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


P 199322

(2)

- 5- विक्रीत क्षेत्रफल - 0.305 हेक्टेयर
- 6- मापन की इकाई- हेक्टेयर
- 7- दर - 11,48,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर
- 8- सडक की स्थिति - सडक से करीब एक किलोमीटर दूर
- 9- प्रतिफल की धनराशि- 3,00,000/- रुपये
- 10- सम्पत्ति की मालियत - 3,51,000/- रुपये
- 11- विलेख पर अदा स्टाम्प शुल्क - 24,600/- रुपये
- 12- पक्षों की संख्या - विक्रेता - 01, क्रेता - 01

श्री. कृ. रामरा वैश्या





(3)

वासरा बेगम पूल्नी स्व० अख्तर खां निवासी मोहल्ला मेहमान
शाह तहसील सदर जिला-शाहजहाँपुर - - प्रथम पक्ष
एवम्

प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री शान्ती प्रसाद अग्रवाल निवासी
मोहल्ला अजीजगंज शाहजहाँपुर। - - द्वितीय पक्ष

जो कि आराजी काश्त जिसका पूर्ण विवरण बैनामे के अन्त
में अंकित है स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर
जिला- शाहजहाँपुर है । जो भूमि प्रथम पक्ष के पति श्री अख्तर खां
बजरिये बैनामा दिनांक 11-11-1980 इकरारी हाजी शफायतउल्ला खां
उर्फ बुद्धन खों से खरीदी थी जिस बैनामे का पंजीकरण कार्यालय उप
निबन्धक सदर शाहजहाँपुर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1004 के
पृष्ठ संख्या 155-159 में क्रम संख्या 3709 पर दिनांक 12-11-1980 को

प्रमोद कुमार अग्रवाल





भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 199324

(4)

हुआ था। अख्तर खों की मृत्यु के बाद प्रथम पक्ष को उक्त भूमि अपने 4 पुत्रों सहित विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें प्रथम पक्ष का 1/5 अंश है और प्रथम पक्ष का अपने अंश की सम्पत्ति पर कब्जा व दखल है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष नाम अंकित चला आ रहा है तथा प्रथम पक्ष को उक्त सम्पत्ति की बावत सभी प्रकार के मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष का नाम अंकित है। लिहाजा प्रथम पक्ष ने स्वस्थ चित्त, सचेत व संज्ञान इन्द्रियों की अवस्था में उक्त सम्पत्ति को वदस्त द्वितीय पक्ष मुवलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) जिसके कि आधे 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) रुपये होते हैं समस्त प्रतिफल बैनाम के अन्त में अंकन अनुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर विक्रय

श्री २००० वा. क. र. व. ग. म.



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs. 1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 911292

(5)

कर दिया और विक्रीत आराजी काशत पर मौके कब्जा व दखल दे दिया और द्वितीय पक्ष को अपने समान पूर्ण रूप से मालिक व काविज व दखील करा दिया । अब प्रथम पक्ष का उक्त आराजी काशत से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं रहा । क्रैता अपने नाम दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष या उसके वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि प्रथम पक्ष की स्वामित्व की किसी कमी (Defect of title) के कारण विक्रीत सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जा व दखल से निकल जावे या उसको कब्जा न मिले तो द्वितीय पक्ष को पूर्ण हक होगा कि वह समस्त विक्रय धनराशि मय हर्जा खर्चा व अन्य नुकसान सहित प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे इसमें प्रथम पक्ष या उसके वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

पि. ३० वाकरा दाम



उत्तर प्रदेश 21 JUN 2011
UTTAR PRADESH

S.T.O.

H 911293

(6)

विक्रीत आराजी कृषि प्रयोजनार्थ है तथा वर्तमान में कृषि कार्य में प्रयोग हो रही है। इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई इकरारनामा पूर्व में नहीं किया गया है तथा सभी प्रकार के भार से मुक्त है। यदि विक्रीत आराजी पर विक्रय पूर्व का कोई भार या कर्जा आदि पाया जावे तो उसके निपटान की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेता की होगी। क्रेता व विक्रेता में से कोई पक्ष अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का नहीं है। आराजी विक्रीत सीलिंग पट्टा या चकबन्दी प्रक्रिया से बाधित नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति में कोई पेड़, कुआँ या कोई निर्माण आदि नहीं है।

21 JUN 2011
S.T.O.

— — — — —

— — — — —




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 911294

डी.ए. कोण्डिया
S.T.O.

(7)

आराजी काश्त ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर में स्थित है । जो विशिष्ट ग्राम की श्रेणी में आता है । विक्रीत सम्पत्ति के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा 11,48,600/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दरें निर्धारित हैं, जिस अनुसार विक्रीत सम्पत्ति 0.305 हेक्टेयर का मूल्यांकन 3,51,000/- रुपये होता है जिस पर 24,600/- रुपये का देय स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है ।



दिनांक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


H 911295

(8)

विवरण विक्रीत सम्पत्ति

कृषि भूमि स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर
तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर

खसरा सं०	क्षेत्रफल	विक्रीत अंश
10	0.162 हे०	1/5 भाग
11	0.975 हे०	1/5 भाग
12	0.134 हे०	1/5 भाग
13	0.254 हे०	1/5 भाग



भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES



Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

पंचसौ रुपये
29 JUN 2010
उत्तर प्रदेश

UTTAR PRADESH

M 851811

(9)


विवरण प्रतिफल

समस्त प्रतिफल 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को बैनामे से पूर्व नकद अदा किया जा चुका है ।

3000 पासादा वसु

फोटोग्राफ

सम्पत्ति- स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर
तहसील सदर जिला- शाहजहाँपुर



प्रथम पक्ष

श्री अठवालकरा देगाम



द्वितीय पक्ष




रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-32 ए0 के अन्तर्गत फिंगर प्रिन्ट्स


प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता

~~विकास वेगल पत्नी स्व. केशवदेव~~
~~मिशनरी नेहरू रोड हस्तीस सदर जिला शाहदोडा~~

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह -



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह -




प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर


विक्रेता/क्रेता का नाम व पता

~~प्रदीप कुमार कुशवाला पुत्र स्व. गौरीप्रसाद कुशवाला~~
~~मिशनरी नेहरू रोड हस्तीस सदर जिला शाहदोडा~~

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह -



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह -



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

नक्शा नजरी

कृषि भूमि स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना
जमौर तहसील सदर जिला- शाहजहाँपुर

उत्तर - खेत हितेश कुमार प्रमोद कुमार

पश्चिम-खेत
सलीमुद्दीन आदि

खसरा संख्या 10/0.162 हे०,
11/0.975 हे०, 12/0.134 हे०,
13/0.254 हे० कुल 5 किता क्षेत्रफल
1.525 हेक्टेयर में से 1/5 भाग बँट
किया जा रहा है।

पूर्व - खेत चक्राड
सलीमुद्दीन आदि

दक्षिण- खेत कुंवरपालसिंह आदि

प्रथम पक्ष

170 आ० वासरा देगन

द्वितीय पक्ष

170 आ० वासरा देगन

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIAN NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

AS 310269

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर
काम आवे ।

महेन्द्र मोदी

[Signature]

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह 1- इन्साफ खां पुत्र स्व० अख्तर खां *Insaaf Khan*

नि०मो० मेहमान शाह शाहजहाँपुर ।

2- महेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्री रामस्वरूप मौर्य

नि०मो० गौहरपुरा शाहजहाँपुर ।

महेन्द्र मोदी

मसविदा द्वारा - राजकुमार मिश्र एडवोकेट शाहजहाँपुर ।

टाइप द्वारा - इन्द्रधनुष कम्प्यूटर्स, गोविन्दगंज शाहजहाँपुर

तहसीर तारीख- 27-06-2011 (सत्ताइस जून सन् दो हजार ग्यारह ईस्वी)

क्रमांक 1465/1 अंकन दिनांक 24-06-11
 स्थान में. पाक इलाका
 नाम का. वालरा के. मिता वति का नाम हवे. भवतर रका
 पता No. 10 - नरेश्वर शाह, लठे-बदर, भा. 10
 बसावज का म. 10
 मुख स्टाम्प का क्रमांक मीथी कुमाउ
 जाली का क्रमांक स्टाम्प विकेता
 म. 10 28 जला. भा. 10

24
 24-06-11
 10-10-11



क्रमांक 1797/1

दिनांक 25-06-11

प्लॉट नं. 27 का इकोन

प्लॉट नं. 1 का नाम व पुराना बालासाहेब खान 4/10 एच 8 रोड

प्लॉट नं. 2 का नाम व पुराना मोहन गेहलान शाह, शाह

प्लॉट नं. 3 का नाम व पुराना सिधाराज खान

विक्रय पत्र

300,000.00/ 351,000.00 7,020.00 20 7,040.00 700

प्रतिफल मालियत

श्रीमती बासरा बेगम

पत्नी श्री अख्तर खां

व्यवसाय गृहिणी

निवासी स्थायी मेहमान शाह शाहजहाँपुर

अस्थायी पता उयल

ने यह लेखपत्र इत कार्यालय में दिनांक 28/6/2011 मध्य 12:43PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनगशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

श्रीमती बासरा बेगम

पत्नी श्री अख्तर खां

पेशा गृहिणी

निवासी मेहमान शाह शाहजहाँपुर

श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल

पुत्र श्री शान्ती प्रसाद अग्रवाल

पेशा व्यापार

निवासी अजीजगंज शाहजहाँपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री इन्साफ खां

अख्तर खां

पेशा कृषि

निवासी मेहमान शाह शाहजहाँपुर

व श्री महेन्द्र कुमार मौर्य

पुत्र श्री रामस्वरूप मौर्य

पेशा अन्य

निवासी गौहरपुरा शाहजहाँपुर

ने की।

प्रत्यक्षता भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम.ए.अन्सारी

उप निबन्धक सदर

शाहजहाँपुर

28/6/2011

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम.ए.अन्सारी

उप निबन्धक सदर

शाहजहाँपुर

28/6/2011

क्रमांक 1797/2

दिनांक 25-06-11

पदाध्यक्ष

बासरा बेगम

संख्या

मियाराम

बासरा बेगम

बासरा बेगम

विक्रेता

Registration No.: 7634

Year: 2,011

Book No. :




0101 बासरा बेगम

अखतार खां

मेहमान शाह शाहजहाँपुर

गृहिणी



क्रमांक 1797/3

दिनांक 25-06-11


प्राप्त करने का प्रयोजन

प्राप्त करने का नाम व पता: बलवाहरा बंगला

प्राप्त करने का नाम: प्रमोद कुमार अग्रवाल

प्राप्त करने का नाम: प्रमोद कुमार अग्रवाल नं० 10


प्राप्त करने का नाम: प्रमोद कुमार अग्रवाल



Registration No. : 7634

Book No. :

0201 प्रमोद कुमार अग्रवाल
 शान्ती प्रसाद अग्रवाल
 अजीजगंज शाहजहाँपुर
 व्यापार



प्रमाणित
5/1/11

क्रमांक 1478/2 दिनांक 27-06-11

स्टाम्प का मूल्य (रु०) में श्री अपथ

राज्य क्रमांक 2004/2005

रस्ताबज की प्र

100 रु० का क्रमांक 2004/2005
संज्ञा क्रमांक स्टाम्प विक्रीता

28 जून, 2011

आज दिनांक 28/06/2011 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 7007

पृष्ठ सं. 51 से 76 पर क्रमांक 7634

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम.ए.अन्सारी

उप निबन्धक सदर

शाहजहाँपुर

28/6/2011

NTG

वापस 105

क्रमांक 22-11-11

मूल के साथ वापस के प्रमाण

ARIS

14-3-12